न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 91/2018

1. श्री अमरचंद
2. श्री कानाराम
3. श्री दल्लाराम

पुत्रगण स्व0 श्री पूनाराम, जाति कुमावत, निवासीगण ग्राम गोविन्दगढ तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।

.....*अपीलान्टस*

बनाम

1. किरण देवी
2. श्री सुरेश कुमार
3. मंजू देवी
4. श्री रमेश कुमार
5. इंदूबाला
6. सपना

पिसरान स्व0 श्री पांचूलाल, जाति धानका

7. श्री किशनलाल पुत्र श्री श्योनाथ, जाति भांबी
8. श्री चौथमल पुत्र श्री राजू, जाति भांबी

समस्त निवासीगण ग्राम गोविन्दगढ, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर

9. श्री पांचू पुत्र श्री रूग्गा, जाति रेगर, निवासी ग्राम अखेपुरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर

.....रेस्पोडेन्टस

अन्तर्गत धारा 225 राजस्व काश्तकारी
अधिनियम 1955

———

उपस्थित :– 1. श्री के0यू0 खान, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री नौरतमल जैन, वकील रेस्पोन्डेन्ट्स की ओर से।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

–: आदेश :–

दिनांक–25.07.2019

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि किरण देवी, सुरेश कुमार, मंजू देवी, रमेश कुमार, इन्दुबाला, सपना पिसरान श्री पांचूलाल, जाति धानका, श्री किशनलाल पुत्र श्री श्योनाथ, जाति भांबी, श्री चौथमल पुत्र श्री राजू, जाति भांबी समस्त निवासीगण ग्राम गोविन्दगढ, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर एवं श्री पांचू पुत्र श्री रूग्गा, जाति रेगर, निवासी ग्राम अखेपुरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ने ग्राम गोविन्दगढ, तहसील पीसांगन स्थित उनकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 414, 415, 416, 416/3008, 418, 418/3010, 420 व 427 पर ओबीसी जाति के सर्व श्री अमरचन्द, कानाराम, धन्नाराम एवं दल्लाराम पुत्रगण स्व0 श्री पूनाराम, जाति कुमावत, निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर द्वारा अवैध कब्जा करने सम्बन्धी राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर पृथक–पृथक परिवाद दर्ज करवाकर भूमि से अवैध कब्जा हटवाने व कब्जा दिलवाने का निवेदन किया गया।

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

परिवाद प्राप्त होने पर तहसीलदार पीसांगन द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 1/2017 पंजीकृत कर वाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 11.09.2018 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार श्री अमरचन्द, कानाराम, धन्नाराम एवं दल्लाराम पुत्रगण स्व0 श्री पूनाराम, जाति कुमावत, निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर की विवादित भूमि से बेदखली की गई। अपीलान्टस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 11.09.2018 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गए। रेस्पोडेन्टस जरिये वकील उपस्थित हुए तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्टस ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व दस्तावेजों का पूर्ण रूप अवलोकन नहीं किया। ग्राम गोविन्दगढ की आराजी खसरा संख्या 415 की भूमि की किस्म आबादी है जिसकी सुनवाई का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। उन्होने कथन किया कि प्रकरण में पक्षकार श्री धन्नाराम का स्वर्गवास होने के उपरान्त भी उनके विधिक वारिसान को पत्रावली पर लिये बिना व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्ध आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। वकील अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी संख्या 2 श्री किशनलाल का काफी समय पूर्व स्वर्गवास होने के पश्चात भी उसकी ओर से किस व्यक्ति ने परिवाद पेश किया व सुनवाई हेतु कौन व्यक्ति उपस्थित हुआ, इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए मृत व्यक्ति की सुनवाई करते हुए उसके विधिक वारिसान को रेकॉर्ड पर लिये बिना आक्षेपीय आदेश पारित किया है जो विधि के तहत पोषणीय नहीं है। उनका आगे कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में रिट संख्या 12026/2016 अमरचन्द बनाम किशनलाल व अन्य खातेदारी अधिकार प्रदान करने बाबत प्रस्तुत की हुई है जो विचाराधीन है किन्तु इस ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया जाकर आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया गया। वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट्स की ओर से अपीलान्ट्स के विरूद्ध सैशन न्यायालय में दर्ज प्रकरण संख्या 21/2013 (66/2013) व 89/2014 (66/2013) राजस्थान सरकार बनाम अमरचन्द व अन्य में दिनांमक 19.11.2013 व 19.01.2015 को निर्णय पारित किया गया जिसमें विश्लेषण किया गया है कि अपीलान्ट्स विवादग्रस्त भूमि पर रेस्पोन्डेन्ट्स के आवंटन पूर्व से ही काबिज थे जिसका भौतिक कब्जा कभी भी सक्षम अधिकारी द्वारा रेस्पो0 को नहीं संभलाया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 2 व 9 ने सर्वप्रथम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 का उल्लेख करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 7 श्री किशनलाल का स्वर्गवास अपील प्रस्तुत करने से पूर्व हो चुका है, जिसकी पूर्ण जानकारी अपीलान्ट्स को थी। साथ ही रेस्पो0 संख्या 8 का स्वर्गवास दिनांक 25.09.2018 को हो गया है। विधि के सुस्थापित सिद्धांत अनुसार मृतक के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। इसके बावजूद मृतक व्यक्ति के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जो प्राथमिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर द्वारा आर0एल0डब्ल्यू0 2007 पेज 100 एवं मान0 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 4611/2010 कालू व अन्य बनाम बादामी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 07.05.2012 में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया। वकील रेस्पो0 संख्या 2 व 9 ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि सक्षम अधिकारी द्वारा

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर

Scanned by CamScanner

दिनांक 16.07.1971 को आवंटित की गई थी। आवंटन आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट संख्या 1 ने राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में अपील संख्या 585/2012 अमरचन्द बनाम किशनलाल व अन्य प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 12.05.2014 से निरस्त की जाकर आवंटन यथावत रखा गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध मान0 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में प्रस्तुत अपील संख्या 3065/2014 अमरचन्द बनाम किशनलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2016 अनुसार अपील निरस्त करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर का निर्णय यथावत रखा गया। आधार खसरा संख्या 415 की आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश, पुष्कर के दीवानी वाद संख्या 71/2013 अमरू उर्फ अमरचन्द बनाम पांचू पुत्र रूग्गा में दिनांक 26.05.2016 से निर्णय व डिक्री पारित कर वाद निरस्त किया गया। इसी प्रकार ठेकानामा के आधार पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पुष्कर में आराजी खसरा संख्या 416 रकबा 1.78 है0 व खसरा 416/3008 रकबा 0.01 है0 के सम्बन्ध में दायर दीवानी वाद संख्या 14/2012 अमरू उर्फ अमरचन्द बनाम श्रीमति सायरी व अन्य आदेश दिनांक 20.11.2017 को निरस्त कर दिया गया। उन्होने आगे कथन किया कि वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खसरा संख्या 420 रकबा 0.74 है0 किस्म चाही 3 किशनलाल पुत्र सोनाथ जाति भांबी, खसरा संख्या 418 रकबा 0.78 है0 किस्म चाही 3 व खसरा संख्या 418/3010 रकब 0.01 है0 गै0मु0 चाह चौथमल पुत्र राजू जाति भांबी खातेदार दर्ज है तथा खसरा संख्या 414 रकबा 0.79 है0 व खसरा संख्या 416 रकबा 0.78 है0 किस्म चाही 3 एवं खसरा संख्या 416/3008 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह पांचू पुत्र रूग्गा खातेदार दर्ज है। साथ ही खसरा संख्या 415 रकबा 0.80 है0 वर्तमान जमाबन्दी अनुसार गै0मु0 आबादी दर्ज है। अन्त में उन्होने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद के आधार पर दर्ज प्रकरण समरी प्रोसिडिंग है जिसका विधिक अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को है। अतः अपील अपीलान्ट्स निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 7 श्री किशनलाल का स्वर्गवास अपील प्रस्तुत करने से पूर्व हो चुका है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को थी। हम रेस्पो0 संख्या 2 व 9 के इन कथनों से सहमत हैं कि अपीलान्ट को जानकारी होने के उपरान्त भी मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। साथ ही अपील के विचाराधीन रहते रेस्पो0 संख्या 8 की भी मृत्यु हो चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट दोषपूर्ण होने से निरस्त की जाती है। अपीलान्ट रेस्पो0 संख्या 7 व 8 के विधिक वारिसान को रेकॉर्ड पर लेकर आगामी 90 दिवस में नये सिरे से अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

आदेश आज दिनांक 25.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(आनन्दीलाल वैष्णव)
अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner